डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2001—श्रावण 30, शक 1923

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001,
नई दिल्ली, तारीख 9 अगस्त, 2001 (18 श्रावण, 1923 शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ.ग./2001.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सरणी के स्तम्भ 2 में :—

1. मद सं. 38-मालखरौदा (अ.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख), जांजगीर-चांपा,' प्रविष्टि,

2. मद सं. 57-सिहावा (अ.ज.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी' प्रविष्टि,

प्रतिस्थापित की जाएगी.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 9th August, 2001 (18, Sravana, 1923 Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 13 B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 429/CG/2001, dated the 23rd January, 2001, namely :—

1. for the existing entry against item No. "38-Malkharoda (SC)" the entry "Joint Collector/Deputy Collector (Land Record), Janjgir-Champa",

2. for the existing entry against item No. "57-Sihawa (ST)" the entry "Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri,"

shall be substituted.

By order
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary
Election Commission of India.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.